

अध्याय-III
बजटीय प्रबंधन


अध्याय - III बजटीय प्रबंधन

3.1 बजट प्रक्रिया

राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 की अनुपालना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य की उस वर्ष हेतु प्राक्कलित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरणी (बजट)" कहा जाता है, रखवाएगा। व्यय के प्राक्कलन, व्यय की "प्रभारित" एवं "दत्तमत" मदों¹ को अलग-अलग प्रदर्शित करते हैं तथा राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पहले विधायिका से प्राधिकार लेना आवश्यक होता है। बजट संबंधी महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली परिशिष्ट 3.1 में दी गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के अनुसार वित्त विभाग विभिन्न विभागों से प्राक्कलन प्राप्त करके वार्षिक बजट बनाता है। नियंत्रण अधिकारी विभाग प्रमुखों के परामर्श पर प्राप्तियों एवं व्यय का विभागीय प्राक्कलन बनाते हैं तथा निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग प्राक्कलनों को समेकित कर विस्तृत प्राक्कलन बनाता है जिसे 'अनुदान-मांग' कहा जाता है। राज्य का बजट चार्ट 3.1 में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेजों से मिल कर बनता है।


चार्ट 3.1: राज्य के बजट दस्तावेजों एवं घटकों का विवरण



1 **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (अर्थात् संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, इत्यादि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभार गठित करती है तथा इनके लिए विधायिका की सम्मति आवश्यक नहीं होती।
दत्तमत व्यय: अन्य सभी व्यय हेतु विधायिका की सम्मति आवश्यक होती है।

वर्ष 2022-23 हेतु बजट कार्यान्वयन का सारांश चार्ट 3.2 में नीचे दर्शाया गया है:

चार्ट 3.2: वर्ष 2022-23 के बजट कार्यान्वयन का सारांश



स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.1 लैंगिक (जेंडर) बजट

जेंडर बजट लिंग आधारित संवेदनशील मुद्दों को हल करने का एक साधन है। सरकार की पूरी नीति प्रक्रिया को लैंगिक परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए यह बजट का उपयोग शुरूआती उपाय के रूप में करता है। जेंडर बजट यह भी मानता है कि बजट महिलाओं एवं बालिकाओं की दयनीय स्थिति को घटाने (सुधारने) का एक शक्तिशाली साधन है जो उनके जीवन की अवस्था को बदल सकता है। साथ ही जेंडर बजट यह भी मानता है कि यदि लैंगिक असमानताओं को दूर करना है, तो केवल लैंगिक संवेदनशील कानून, कार्यक्रम और योजनाएं बनाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त मौद्रिक आवंटन प्रदान करना होगा। आमतौर पर सरकारें लैंगिक समानता एवं महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती हैं परन्तु अक्सर सरकार के नीतिगत बयानों और उसके धन जुटाने व खर्च करने के तरीकों के मध्य अंतर होता है।

अतः यह सुनिश्चित करते हुए कि सार्वजनिक धन अधिक प्रभावी ढंग से अर्जित एवं व्यय किया जाएगा जेंडर संवेदनशील बजट की पहल इन अंतरों को पाटने में सहायता कर सकती है। इस अवधारणा पर कार्य करते हुए भारत सरकार ने सबसे पहले वर्ष 2005-06 में भारत की बजट प्रक्रिया में जेंडर संवेदनशील बजट को समन्वित किया और तब से हर वर्ष यह लिंग आधारित विवरण तैयार एवं प्रकाशित कर रही है। भारत सरकार का जेंडर बजट विवरण दो भागों में विभाजित है- भाग क, यथा, 100 प्रतिशत महिला-विशिष्ट कार्यक्रमों पर व्यय एवं भाग ख, यथा उन कार्यक्रमों पर व्यय जहां कम से कम 30 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित हैं।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देना हिमाचल प्रदेश सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के केंद्र में भी है। विधानों, नीतियों व कार्यक्रमों में जेंडर संवेदनशील बजट को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ करके प्रति वर्ष जेंडर बजट विवरण (वित्तीय व भौतिक) तैयार करने का विचार भी कर रही है ताकि लैंगिक दृष्टिकोण/ परिप्रेक्ष्य से विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु एक रिपोर्टिंग तंत्र विकसित कर अपनाया जा सके। केवल महिला लाभार्थियों को लक्ष्य करने वाली योजनाएं, या 100 प्रतिशत महिला-उन्मुख योजनाएं श्रेणी-1 में रखी गई हैं तथा 100 प्रतिशत से कम महिला लाभार्थियों वाली योजनाएं श्रेणी-2 में हैं।

श्रेणी 1 में 28 महिला-उन्मुख योजनाएं हैं, जिनमें 20 राज्य योजनाएं एवं आठ केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। 28 योजनाओं में से नौ योजनाओं हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। शेष 19 योजनाओं (केंद्र प्रायोजित व राज्य योजनाएं दोनों) में ₹ 134.82 करोड़ का कुल बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से ₹ 134.46 करोड़ का उपयोग किया गया। इन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

3.1.2 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरण एवं बचत का सारांश

वर्ष 2022-23 में व्ययार्थ कुल बजट प्रावधान ₹ 67,733 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक व्यय ₹ 63,463 करोड़¹ (94 प्रतिशत) रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4,270 करोड़ (छ: प्रतिशत) की बचत हुई। वर्ष 2022-23 के दौरान सभी 32 अनुदानों/ विनियोजनों हेतु बजटीय प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति तालिका 3.1 में दी गई है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.1.3 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

विगत पांच वर्षों (2018-23) के दौरान प्रभारित एवं दत्तमत के रूप में वर्गीकृत कुल बजट व संवितरण की स्थिति तालिका 3.2 में दी गई है।

¹ व्यय में वर्ष 2019-20 (₹ 157.51 करोड़), 2020-21 (₹ 212.64 करोड़) व 2021-22 (₹ 78.46 करोड़) में आपत्ति बही उचंत के तहत रखी गई राशि के निपटान के ₹ 448.61 करोड़ शामिल हैं।

तालिका 3.2: 2018-19 से 2022-23 के दौरान संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत(-)/आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2018-19	37,936	9,048	33,620	8,849	-4,316	-199
2019-20	42,255	11,453	34,507	11,021	-7,748	-432
2020-21	45,157	16,440	37,440	15,699	-7,717	-741
2021-22	45,270	10,445	41,020	9,110	-4,250	-1,335
2022-23	51,164	16,569	48,390	15,073	-2,774	-1,496

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि तालिका 3.2 से स्पष्ट है, दोनों प्रभागों अर्थात् दत्तमत एवं प्रभारित में बचत हुई। वर्ष 2019-20 से बचत (दत्तमत) में घटती प्रवृत्ति, जबकि वर्ष 2018-19 से बचत (प्रभारित) में बढ़ती प्रवृत्ति पाई गई। परिच्छेद 3.3.5 में पर्याप्त एवं निरंतर बचत के मामलों पर प्रकाश डाला गया है।

3.1.4 बजट लक्ष्य प्राप्ति

समग्र बजट आउटटर्न

समग्र बजट आउटटर्न उस अधिकतम सीमा को मापता है, जिससे स्वीकृत से कम व स्वीकृत से अधिक दोनों के संदर्भ में समग्र बजट व्यय आउटटर्न/वास्तविक व्यय, मूल रूप से स्वीकृत राशि को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 का कुल बजट आउटटर्न तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: समग्र बजट आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वीकृत मूल बजट (बजट अनुमान)	वास्तविक आउटटर्न (व्यय)	बजट अनुमान व वास्तविक के मध्य अंतर*
राजस्व	43,455.11	47,153.12	(+) 3,698.01
पूंजीगत	11,136.92	16,310.23	(+) 5,173.31
योग	54,592.03	63,463.35	(+) 8,871.32

* मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।

राजस्व प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +8.51 प्रतिशत रहा। इसका कारण 26 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। छः अनुदानों में +50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। मूल अनुदान से वास्तविक में कमी वाले अन्य छः अनुदानों में अंतर -3.00 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक था।

पूंजीगत प्रभाग में बजट अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर +46.45 प्रतिशत रहा। इसका कारण 17 अनुदानों में मूल प्रावधान से वास्तविक में आधिक्य होना था। अन्य छः

अनुदानों में +100 प्रतिशत से अधिक का अंतर था। इसके अतिरिक्त इन छः अनुदानों में से चार अनुदानों में +400 प्रतिशत से अधिक का अंतर रहा।

व्यय संघटन आउटटर्न

व्यय संघटन आउटटर्न निष्पादन के दौरान मुख्य बजट श्रेणियों के मध्य पुनः आवंटन से व्यय संघटन में हुए अंतर की अधिकतम सीमा को मापता है। वर्ष 2022-23 का व्यय संघटन आउटटर्न तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: व्यय संघटन आउटटर्न

(₹ करोड़ में)

विवरण	मूल अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक आउटटर्न (व्यय)	संशोधित अनुमान व बजट अनुमान में अंतर	वास्तविक व संशोधित अनुमान में अंतर*
राजस्व	43,455.11	49,096.21	47,153.12	5,641.10	-1,943.09
पूंजीगत	11,136.92	18,636.89	16,310.23	7,499.97	-2,326.66
योग	54,592.03	67,733.10	63,463.35	13,141.07	-4,269.75

* संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक का आधिक्य (+) आंकड़ों के रूप में दर्शाया गया है एवं संशोधित अनुमान के सापेक्ष वास्तविक की कमी (-) आंकड़ों के रूप में दर्शाई गई है।

राजस्व प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -3.96 प्रतिशत रहा। इसका कारण 25 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में -0.14 प्रतिशत से -24.58 प्रतिशत तक की कमी होना था।

पूंजीगत प्रभाग में संशोधित अनुमान की तुलना में आउटटर्न का अंतर -12.48 प्रतिशत रहा। इसका कारण 18 अनुदानों में संशोधित अनुमानों से वास्तविक में कमी होना था एवं तीन अनुदानों में -50 प्रतिशत से अधिक का अंतर था।

3.2 विनियोजन लेखे

विनियोजन लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों की राशि की तुलना में सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन को अलग-अलग करके दर्शाते हैं तथा जो बजट की प्रभारित एवं दत्तमत दोनों मदों के सम्बन्ध में विनियोजन अधिनियम द्वारा प्राधिकृत है, उनकी तुलना में विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजी एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार विनियोजन लेखे, निधियों के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए वित्त लेखाओं के पूरक होते हैं।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोजनों की लेखापरीक्षा यह पता लगाने का प्रयास करती है कि क्या वास्तव में विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय विनियोजन अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरण के अनुसार है, तथा यह कि संविधान

(अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत प्रभारित व्यय इसी प्रकार प्रभारित किया गया है। यह ये भी सुनिश्चित करती है कि क्या किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों तथा निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय एवं लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा पर टिप्पणी

3.3.1 विधिक प्राधिकार के बिना किया गया व्यय

संविधान के अनुच्छेद 204 के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के अंतर्गत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई भी धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम रूप में, पुनर्विनियोजन, अनुपूरक अनुदान या विनियोजन द्वारा अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के अतिरिक्त निधियों के प्रावधान के बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

तालिका 3.5 सात अनुदानों वाले नौ मामलों में बिना किसी बजट प्रावधान के किए गए व्यय की सारांशित स्थिति दर्शाती है। यह संवैधानिक प्रावधानों की अवहेलना है। राज्य सरकार को ऐसे व्ययों से बचना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में व्यय अपरिहार्य हो जाता है, तो वित्त विभाग को अनुच्छेद 205 एवं 206 के अंतर्गत प्रावधानों का पालन अवश्य करना चाहिए।

तालिका 3.5: बजट प्रावधान के बिना किए व्यय का सारांश

अनुदान/ विनियोजन	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)	योजना/ उप शीर्ष के नाम
दत्तमत			
07	2056-00-001-01-C00N	117	मुख्यालय कर्मों
09	2210-05-105-07-S10N	3,90,000	विस्तार एवं प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन
	4210-03-105-13-S10N	41,82,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
31	4210-03-796-11-S10N	10,78,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
32	2401-00-789-51-C90N	4,11,300	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना
	4210-03-789-09-S10N	17,90,000	सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन
प्रभारित			
08	2202-01-101-03-S00N	20,00,000	माध्यमिक विद्यालय
29	2049-01-101-18-S00N	23,27,99,000	7.76% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030
	2049-01-101-19-S00N	15,63,99,000	7.82% हिमाचल प्रदेश राज्य विकास ऋण 2032
योग		39,90,49,417 (₹ 39.90 करोड़)	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.2 अनावश्यक अथवा अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष हेतु विनियोजन अधिनियम द्वारा किए गए प्रावधान पर कोई पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन किया जा सकता है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता। जब

ऐसे अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य हो एवं पुनर्विनियोजन द्वारा व्यय आधिक्य को पूरा करने के लिए अनुदान के भीतर प्रभावी बचत की कोई संभावना न हो, तो संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को पूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन हेतु प्रस्ताव देते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान छः अनुदानों (राजस्व/पूँजीगत-दत्तमत) के तहत सात मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए जहां ₹ 246.39 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान (तालिका 3.6) के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। वहीं 14 मामलों (तालिका 3.7) में ₹ 2,520.66 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि ₹ 591.52 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के भुगतान को शेष छोड़ते हुए, यह आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु पर्याप्त नहीं थे (चार्ट 3.3)।

चार्ट 3.3: अनावश्यक एवं अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान



स्रोत : विनियोजन लेखे

तालिका 3.6: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधानों से बचत
राजस्व- दत्तमत					
1	11-कृषि	410.09	44.14	397.80	12.29
2	16-वन एवं वन्य जीव	760.70	48.59	720.21	40.49
3	31-जनजाति विकास	1,720.18	25.22	1,538.47	181.71
पूँजीगत- दत्तमत					
4	3- न्याय प्रशासन	11.90	10.63	10.80	1.10
5	16- वन एवं वन्यजीव	10.22	1.76	10.21	0.01
6	19- सामाजिक न्याय और अधिकारिता	5.28	58.83	1.69	3.59
7	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.85	57.22	173.51	8.34
योग		3,100.22	246.39	2,852.69	247.53

स्रोत: विनियोजन लेखे

यद्यपि राज्य सरकार द्वारा पूरक अनुदान की मांग इस तर्क के आधार पर की गई थी कि संबंधित अनुदानों के तहत विभिन्न योजनाओं में अतिरिक्त व्यय किया जाना था, फिर भी सात मामलों में अंतिम व्यय मूल प्रावधान से भी कम था, जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है।

तालिका 3.7: उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) अपर्याप्त सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत						
1.	14- पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन	418.52	31.81	450.33	453.41	3.08
2.	17-चुनाव	83.53	19.35	102.88	105.57	2.69
3.	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	140.25	81.01	221.26	225.18	3.92
4	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	192.37	74.62	266.99	332.07	65.08
5	25- सड़क एवं जल परिवहन	245.75	171.11	416.86	417.00	0.14
6	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	595.60	162.58	758.18	833.60	75.42
7	29-वित्त	7,912.59	1,286.29	9,198.88	9,400.77	201.89
8	30-विविध सामान्य सेवाएं	118.60	27.15	145.75	146.60	0.85
पूँजीगत-दत्तमत						
9	05- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	13.68	48.68	62.36	72.64	10.28
10	09- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	90.42	238.26	328.68	485.86	157.18
11	18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति और सूचना प्रौद्योगिकी	32.75	152.72	185.47	187.33	1.86
12	25- सड़क और जल परिवहन	93.44	208.74	302.18	363.55	61.37
13	27- श्रम रोजगार और प्रशिक्षण	63.51	13.13	76.64	82.94	6.30
14	30- विविध सामान्य सेवाएं	38.76	5.21	43.97	45.43	1.46
योग		10,039.77	2,520.66	12,560.43	13,151.95	591.52

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त थे क्योंकि वास्तविक व्यय कुल बजट प्रावधानों (मूल+अनुपूरक) से अधिक था।

उपरोक्त दोनों दृष्टांत इंगित करते हैं कि प्रशासनिक विभागों द्वारा व्यय की खराब निगरानी करने के कारण वित्तीय वर्ष की शेष अवधि हेतु वास्तव में आवश्यक निधियों का उचित आंकलन/अनुमान नहीं कर पाए।

3.3.3 पूर्व विधायी प्राधिकरण की आवश्यकता वाले पुनर्विनियोजन

‘पुनर्विनियोजन’ का तात्पर्य है, विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान या प्रभारित विनियोजन के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतरित करना। सरकार को एक ही अनुदान के भीतर विनियोजन की एक इकाई से दूसरी इकाई में प्रावधानों को पुनर्विनियोजित करने की अनुमति है, इस प्रकार

एक मूल प्रावधान के गंतव्य को एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्यार्थ निर्धारित सीमाओं एवं प्रतिबंधों के अधीन बदल दिया जाता है। विधानसभा की सम्मति से एक निश्चित प्रयोजन हेतु किए गए अनुपूरक अनुदानों से किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ पुनर्विनियोजन नहीं किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुपूरक अनुदान जिस प्रयोजनार्थ सम्मत किया गया है उसी के लिए प्रयोग किया गया तथा अन्य किसी उद्देश्य हेतु नहीं।

वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान से दूसरे अनुदान में या अनुपूरक अनुदान से पुनर्विनियोजन का कोई मामला नहीं पाया गया।

अनुदानों के अंतर्गत अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोग के मामलों के विवरण नीचे दिए गए हैं।

3.3.4 अनावश्यक, अनुचित एवं अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

किसी अनुदान के भीतर प्रत्याशित बचत वाले विनियोजन की किसी इकाई से अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाली दूसरी इकाई में निधियों का अंतरण पुनर्विनियोजन कहलाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान ऐसे 96 मामले (परिशिष्ट 3.3) थे जहां पुनर्विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। 23 मामलों में (परिशिष्ट 3.4) जिन लेखाओं में वास्तविक व्यय आधिक्य हुआ, उनसे अनुचित तरीके से पुनर्विनियोजन किया गया। 54 मामलों में (परिशिष्ट 3.5) पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन करने के उपरांत भी वास्तविक व्यय अधिक हुआ। ऐसे कई मामले (₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत/आधिक्य) नीचे दी गई तालिका 3.8 व तालिका 3.9 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.8: अनावश्यक पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुई बचत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियो-जन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
राजस्व-दत्तमत								
1	3-न्याय प्रशासन	2014-00-105-01-S00N	149.03	36.30	0.0001	185.33	161.13	-24.20
2	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-111-01-S00N	32.00	3.00	0.75	35.75	24.85	-10.90
3	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-02-111-02-S00N	47.00	9.96	2.61	59.57	46.17	-13.40
4	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	2245-08-101-01-S00N	0.00	90.80	95.20	186.00	48.76	-137.24
5	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	2055-00-108-05-S00N	332.40	1.87	0.43	334.70	322.71	-11.99
6	8-शिक्षा	2202-01-112-01-C90N	88.37	0.00	1.10	89.47	64.01	-25.46
7	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2210-01-110-03-S00N	296.80	8.59	9.18	314.57	296.50	-18.07
8	10-लोक निर्माण कार्य-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-02-S00N	326.43	0.00	3.39	329.82	298.18	-31.64

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	अंतिम बचत
9	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	2235-02-104-01-S00N	0.00	33.68	7.32	41.00	0.00	-41.00
10	32-अनुसूचित जाति उप योजना	2202-03-789-04-C60N	0.00	0.00	26.40	26.40	0.00	-26.40
पूँजीगत-दत्तमत								
11	19-सामाजिक न्याय और अधिकारिता	4235-02-104-01-S00N	0.00	58.43	1.57	60.00	0.00	-60.00
12	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	4215-02-106-02-S00N	134.66	12.22	0.40	147.28	57.27	-90.01
13	31-जनजातीय विकास	5002-03-796-01-S00N	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	-10.00
14	32-अनुसूचित जाति उप योजना	5054-04-789-01-S00N	91.94	0.00	2.39	94.33	77.30	-17.03

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

तालिका 3.9: अनुचित/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप हुआ आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक	आधिक्य
राजस्व-दत्तमत								
1	8-शिक्षा	2202-02-109-01-S00N	2,606.99	139.41	11.74	2,758.14	2,792.85	34.71
2	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408-01-102-13-C75N	0.01	0.00	0.26	0.27	65.67	65.40
3	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-63-C90N	0.00	86.20	49.95	136.15	184.66	48.51
4	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217-80-191-64-C90N	0.00	53.00	33.66	86.66	133.16	46.50
5	29-वित्त	2071-01-101-03-S00N	4,341.19	200.06	20.82	4,562.07	4,662.02	99.95
6	31-जनजातीय विकास	3054-04-796-02-S00N	113.27	0.00	-4.52	108.75	137.62	28.87
पूँजीगत-दत्तमत								
7	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	4055-00-211-03-S00N	31.59	0.15	0.40	32.14	52.53	20.39
8	25-सड़क और जल परिवहन	5002-03-115-01-S00N	18.48	128.71	1.52	148.71	211.66	62.95

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 44(2) के अनुसार वित्त विभाग के अनुमोदन से निधियों का पुनर्विनियोजन तभी किया जाए, जब यह ज्ञात या प्रत्याशित हो कि जिस

इकाई से निधियां स्थानांतरित की जानी है, उसमें विनियोजन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या उक्त इकाई के विनियोजन में बचत प्रभावित हो सकती है।

3.3.5 बचत

बजट में हर उस चीज का, जिसे पहले से भांपा जा सके, प्रावधान करने तथा जितना आवश्यक हो उतना ही प्रावधान करना सभी प्राक्कलन अधिकारियों का स्वर्णिम सिद्धांत माना जाना चाहिए। पूर्ण रूप से सटीक अनुमान लगाना हमेशा संभव नहीं होता; परंतु जहां दूरदर्शिता के अभाव, स्पष्ट अनुमान की उपेक्षा अथवा असावधानी पूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण अथवा गलत अनुमान बनाया जाता है, वहां उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। प्रशासनिक एवं वित्त विभागों को अनुमानों की जांच करते समय, विगत वास्तविकों के प्रमाणित तथा अच्छी तरह से जांचे गए औसत को, साथ ही उन ज्ञात अथवा यथायोग्य पूर्वाभास तथ्यों को जो औसत में संशोधन ला सकते हैं, कठोरता से लागू करना चाहिए।

जब अभ्यर्पण की आवश्यकता स्वतः प्रकट होती है, नियंत्रण अधिकारियों को अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि का आंकलन सतर्कता से करना चाहिए। जितना हो सके उतना अधिक अभ्यर्पण करने का लक्ष्य होना चाहिए ताकि व्यय को संशोधित अनुदान के भीतर रखा जा सके।

अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमता/कमजोर आंतरिक नियंत्रण वित्तीय वर्ष के अंत में निधियां जारी करने को बढ़ावा देते हैं तथा बड़ी शेष राशि को सरकारी खाते के बाहर, बैंक खातों में रोके रखने की विभागों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। अत्यधिक बचत अन्य विभागों को भी उन निधियों से वंचित कर देती है जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

(i) आबंटन की तुलना में बचत

विनियोजन के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष के दौरान 26 अनुदानों से संबंधित 51 मामलों में बचत हुई, जैसाकि परिशिष्ट 3.6 में विवर्णित है। इन मामलों के अंतर्गत किए गए ₹ 54,946.43 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 4,269.75 करोड़ की कुल बचत हुई, जो कि ₹ 4,931.89 करोड़ की बचत का निवल परिणाम थी, जो विभिन्न अनुदानों में ₹ 662.14 करोड़ के व्यय आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,269.75 करोड़ की समग्र बचत में से 10 अनुदानों से संबंधित 13 मामलों में पर्याप्त बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) पाई गई, जिसका विवरण तालिका 3.10 में दिया गया है।

तालिका 3.10: वर्ष के दौरान बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	मूल	अनुपुरक	वास्तविक	बचत
राजस्व-दत्तमत					
1	5- भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,360.47	672.01	1,757.30	-275.18
2	8-शिक्षा	7,451.77	440.13	7,770.30	-121.60
3	9- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2,494.16	453.79	2,740.42	-207.53
4	10-लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	3,432.64	0.00	2,879.87	-552.77
5	20-ग्रामीण विकास	1,252.90	518.98	1,651.86	-120.02
6	31-जनजातीय विकास	1,720.18	25.22	1,538.47	-206.93
7	32- अनुसूचित जाति उप योजना	2,219.57	398.22	2,423.89	-193.90
पूंजीगत-दत्तमत					
8	15- योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	493.74	0.00	325.15	-168.59
9	26- पर्यटन और नागरिक उड्डयन	581.26	0.00	86.15	-495.11
10	31- जनजातीय विकास	539.63	0.00	386.50	-153.13
11	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,418.15	0.00	1,096.37	-321.78
राजस्व-प्रभारित					
12	29-वित्त	5,104.64	0.00	4,828.69	-275.95
पूंजीगत- प्रभारित					
13	29- वित्त	5,342.02	6,006.94	10,135.79	-1,213.17

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

बचत दोनों क्षेत्रों यथा सामाजिक एवं अवसंरचना के अंतर्गत देखी गई। बड़ी बचतें सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण, शिक्षा, वित्त, जनजातीय विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग आदि में तथा प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों व विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा में रिक्त पदों को न भरने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित में न बदलने, विभिन्न योजनाओं/कार्यों के रख-रखाव पर कम व्यय आदि के कारण हुई। आर्थिक/अवसंरचना क्षेत्र के तहत मुख्यतः पर्यटन व नागरिक उड्डयन में भी बचत देखी गई, जिसका मुख्य कारण हवाई अड्डों/हेलीपॉर्टों के विकास से संबंधित निधियों का उपयोग न होना एवं विभिन्न विकासात्मक कार्यों का कार्यान्वयन न होना रहा।

चार्ट 3.4 अनुदानों/विनियोगों को बजट आवंटन के प्रति बचत के प्रतिशत के अनुसार वर्गीकृत करता है। इस चार्ट से ज्ञात होता है कि वर्ष के दौरान 10 अनुदानों में ₹ 3,145.03 करोड़ (प्रत्येक अनुदान में पांच से 15 प्रतिशत) की बचत हुई।

चार्ट 3.4: प्रत्येक समूह में हुई कुल बचत सहित बचत के प्रतिशत द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या



*टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

बचत अपने पास रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है अतः आदर्श रूप से इसे समय पर अभ्यर्पित कर देना चाहिए। अतएव जिन विनियोजनों के अव्ययित रहने की संभावना है, इनके अभ्यर्पण हेतु शीघ्रातिशीघ्र सूचित किया जाना चाहिए। जैसाकि नमूना-जांचित विभागों से (संदर्भ परिच्छेद 3.5.1 (v) एवं 3.5.2 (iii)) स्पष्ट है कि आधिक्य एवं अभ्यर्पण के विवरणों को प्रस्तुत करने में 16 से 70 दिनों के मध्य का विलंब था। बचत का अभ्यर्पण न करने से अन्य व्यय करने वाले विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे तथा इस प्रकार पूरक अनुदानों की मांगों से बचा जा सकता था। अभ्यर्पण आमतौर पर मार्च माह में किए जा रहे हैं तथा किए गए व्यय के आंकड़ों का सावधानीपूर्वक अध्ययन एवं गत माह के व्यय की प्रगति पर ध्यान देना एक नियंत्रण अधिकारी को उचित सटीकता एवं शुद्धता के साथ अपनी अंतिम आवश्यकताएं तय करने में सक्षम बनता है।

(ii) निरंतर बचत

विगत पांच वर्षों के दौरान 15 अनुदानों से संबंधित 21 ऐसे मामले (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ या अधिक) पाए गए, जहां लगातार बचत हुई (परिशिष्ट 3.7 में विवरण दिया गया है), जिनमें से आठ मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ या अधिक) नीचे तालिका 3.11 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.11: निरंतर बचत के मामलों का विवरण (प्रत्येक मामले में ₹ 100 या अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व दत्तमत							
1	08	शिक्षा	-955.16	-1,110.61	-1,362.09	-1,096.43	-121.60
2	09	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	-330.83	-377.72	-489.64	-243.85	-207.53
3	10	लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	-269.04	-736.83	-963.02	-1,194.46	-552.77
4	20	ग्रामीण विकास	-383.93	-351.17	-163.47	-134.10	-120.02
5	31	जनजातीय विकास	-325.72	-371.39	-415.69	-403.42	-206.93
6	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-390.87	-513.37	-264.69	-141.50	-193.90
पूंजीगत दत्तमत							
7	32	अनुसूचित जाति उप योजना	-154.08	-231.62	-149.75	-390.46	-321.78
राजस्व-प्रभारित							
8	29	वित्त	-238.48	-315.99	-459.44	-376.78	-275.95

स्रोत : विनियोजन लेखे

उपरोक्त अनुदानों में पर्याप्त मात्रा में हुई निरंतर बचत इंगित करती है कि इन विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे क्योंकि वे आवंटित धन खर्च करने में असमर्थ रहे। विभागों को खर्च करने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ये सभी सामाजिक क्षेत्र के विभाग हैं और यहां तक कि धन आवंटित करते समय पिछले वर्षों की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा था। पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इन्हें इंगित किया गया था।

(iii) ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

मार्च माह की समाप्ति तक प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक के अभ्यर्पण के दृष्टांत तालिका 3.12 में दिए गए हैं।

तालिका 3.12: मार्च 2023 की समाप्ति तक ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
राजस्व दत्तमत							
1	8	7,451.77	440.13	7,891.90	7,770.30	-121.60	-242.27
2	9	2,494.16	453.79	2,947.95	2,740.42	-207.53	-35.54

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मूल	अनुपुरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
3	10	3,432.64	0.00	3,432.64	2,879.87	-552.77	-83.67
4	11	410.09	44.14	454.23	397.80	-56.43	-55.88
5	13	2,681.86	21.47	2,703.33	2,696.81	-6.52	-16.92
6	16	760.70	48.59	809.29	720.21	-89.08	-77.95
7	31	1,720.18	25.22	1,745.40	1,538.47	-206.93	-40.32
8	32	2,219.57	398.22	2,617.79	2,423.89	-193.90	-119.33
पूँजीगत दत्तमत							
9	15	493.74	0.00	493.74	325.15	-168.59	-80.80
10	26	581.26	0.00	581.26	86.15	-495.11	-483.88
11	28	181.85	57.22	239.07	173.51	-65.56	-70.79
12	31	539.63	0.00	539.63	386.50	-153.13	-63.29
13	32	1,418.15	0.00	1,418.15	1,096.37	-321.78	-220.64
राजस्व-प्रभारित							
14	29	5,104.64	0.00	5,104.64	4,828.69	-275.95	-319.90
योग		29,490.24	1,488.78	30,979.02	28,064.14	-2,914.88	-1,911.18

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका में दिया है, माह मार्च 2023 में 14 मामलों में कुल ₹ 1,911.18 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ या अधिक) का अभ्यर्पण किया गया (कुल आवंटित बजट का 6.48 प्रतिशत)।


हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 2009 के नियम 41 के अनुसार बचत सहित वे प्रावधान जिनका लाभप्रद उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना जब भी अनुमान लगाया जाए, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाए। किसी भी बचत को भविष्य के संभावित आधिक्य हेतु आरक्षित नहीं रखा जाए।

सभी अभ्यर्पण आदेशों की जांच/संवीक्षा के दौरान पाया गया कि अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंतिम दिन (अर्थात् 31 मार्च) को दिए गए। वर्ष के अंत में निधियों का अभ्यर्पण व्यय की निम्नस्तरीय निगरानी, कमजोर वित्तीय नियंत्रण दर्शाता है तथा इसका तात्पर्य है कि निधियों का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु नहीं किया जा सका।

(iv) उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदान/विनियोजनों की संख्या का वितरण

उपयोग की प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या के वितरण का विवरण नीचे चार्ट 3.5 में दिया गया है।

चार्ट 3.5: उपयोग के प्रतिशतता द्वारा समूहबद्ध किए गए अनुदानों/विनियोजनों की संख्या का वितरण




टिप्पणी: शून्य (0) से कम दिखाई गई राशि आधिक्य को दर्शाती है।

एक अनुदान (अनुदान संख्या 26-पर्यटन व नागरिक उड्डयन) में उपलब्ध निधियों के उपयोग केवल 18 प्रतिशत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 498.42 करोड़ की बचत हुई। विगत वर्ष भी विभाग ने उपलब्ध अनुदान का मात्र 24 प्रतिशत ही उपयोग किया था।

11 अनुदानों में विशेष रूप से अनुदान संख्या 22 (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति) में जहां प्रयुक्ति 124.36 प्रतिशत रही, प्रयुक्ति 100 प्रतिशत से अधिक होने के परिणामस्वरूप ₹ 65.08 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति/अंतिम दिन से पूर्व बचत व अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



चार्ट 3.6 के विश्लेषण से उजागर हुआ कि बचत का मात्र 46.11 प्रतिशत अभ्यर्पित किया गया। सभी अभ्यर्पण (₹ 1,968.92 करोड़) 31 मार्च 2023 को किए गए। यह निधियों के कमजोर प्रबंधन का परिचायक है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संसाधनों का निम्नतर इष्टतम उपयोग हुआ।

3.3.6 व्यय आधिक्य एवं इसका विनियमन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के तहत आहरित धन के अतिरिक्त राज्य की समेकित निधि से कोई धन नहीं निकाला

जाएगा। साथ ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को अनुदान/विनियोजनों से अधिक आहरण को राज्य विधायिका से विनियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय के विनियमन हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है फिर भी लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखाओं पर चर्चा पूर्ण होने के उपरांत व्यय आधिक्य का विनियमन किया जाता है।

3.3.6.1 व्यय आधिक्य

प्रावधान से अधिक व्यय न केवल विधायिका से अपेक्षित संस्वीकृति के प्रावधानों का उल्लंघन है, अपितु यह अकुशल कार्य-योजना का भी परिचायक है। बजटीय परिव्यय के संदर्भ में व्यय की वृद्धि के क्रम पर दृष्टि रखकर इसको टाला जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय आधिक्य के विवरण तालिका 3.13 दिए गए हैं।

तालिका 3.13: 2022 23 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक संवितरण का सारांश

(₹ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम व संख्या	दत्तमत		प्रभारित	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1.	5-भू राजस्व एवं जिला प्रशासन	--	10,27,59,700	--	--
2.	7-पुलिस एवं संबद्ध संगठन	--	25,82,14,574	--	--
3.	8-शिक्षा	--	--	20,00,000	--
4.	9-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	--	1,57,18,03,145	--	--
5.	12-उद्यान	--	2,23,49,267	--	--
6.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	--	--	--	1,276
7.	14-पशुपालन, डेयरी विकास व मत्स्य पालन	3,08,53,938	--	--	--
8.	17-चुनाव	2,69,97,672	--	--	--
9.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	3,91,22,878	1,85,98,571	--	--
10.	20-ग्रामीण विकास	--	34,74,140	--	--
11.	21-सहकारिता	--	5,25,24,000	--	--
12.	22-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	65,07,85,490	--	--	--
13.	23-विद्युत विकास	--	36,76,35,000	--	--
14.	25-सड़क और जल परिवहन	14,99,380	61,36,55,000	--	--
15.	27-श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण	--	6,30,05,754	--	--
16.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	75,41,13,479	--	--	--
17.	29-वित्त	2,01,89,18,637	--	--	--
18.	30-विविध सामान्य सेवाएं	85,01,905	1,46,28,245	--	--
योग		3,53,07,93,379	3,08,86,47,396	20,00,000	1,276
सकल योग		₹ 662.14 करोड़			

स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त से स्पष्ट है वर्ष 2022-23 के दौरान 21 मामलों (18 अनुदान से सम्बंधित) में बजट प्रावधान से ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य हुआ, जिसका राज्य विधायिका से

विनियमन अपेक्षित है। मुख्य शीर्ष-वार आधिक्य का विवरण परिशिष्ट 3.8 में दिया गया है एवं मुख्य शीर्ष, जहां बजट से पर्याप्त आधिक्य है (₹ 50 करोड़ से अधिक) उनके मामले तालिका 3.14 में दिए गए हैं।

तालिका 3.14: 2022-23 के दौरान प्राधिकार से अधिक किए गए मुख्य शीर्ष-वार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	29-वित्त	2071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	7,790.20	1,260.65	9,283.87	233.02
2	9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210- चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	90.42	238.26	485.86	157.18
3	13- सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215- जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	1,860.02	21.31	2,001.94	120.61
4	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	2217- शहरी विकास	577.45	162.58	817.41	77.38
5	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2408- खाद्य भंडारण व वेयरहाउस	172.76	53.93	291.68	64.99
6	25- सड़क एवं जल परिवहन	5002- भारतीय रेल-वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परिव्यय	18.48	128.71	211.66	64.47
7	23- विद्युत विकास	6801- विद्युत परियोजनाओं हेतु ऋण	36.19	0.00	97.04	60.85

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.6.2 कुछ अनुदानों में निरंतर आधिक्य

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी अनुदान में लगातार आधिक्य का कोई मामला नहीं था।

3.3.6.3 विगत वित्तीय वर्षों के व्यय आधिक्य का विनियमन

लम्बी अवधि तक व्यय आधिक्य का विनियमन न होना कार्यकारिणी पर विधायी नियंत्रण को कमजोर बनाता है।

वर्ष 2014-15 से 2021-22 के दौरान 20 अनुदानों एवं 11 विनियोजनों के तहत हुआ ₹ 10,600.63 करोड़ का व्यय आधिक्य सितंबर 2023 तक राज्य विधायिका से विनियमित होना शेष था। आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-22 की अवधि से संबंधित ₹ 10,600.63 करोड़ के व्यय आधिक्य में से ₹ 7,858.49 करोड़ (74.13 प्रतिशत) का व्यय आधिक्य अवधि 2017-18 से पूर्व से संबंधित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2022 23 के दौरान 16 अनुदान एवं दो विनियोजनों में ₹ 662.14 करोड़ का प्राधिकार से अधिक किया गया व्यय आधिक्य भी विनियमन हेतु अपेक्षित था।

विनियमन हेतु लम्बित व्यय आधिक्य की वर्ष-वार राशि नीचे तालिका 3.15 में सारांशित की गई है:

तालिका 3.15: विनियमन हेतु अपेक्षित विगत वर्षों (2014-22) से संबंधित व्यय आधिक्य

वर्ष	अनुदानों/ विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	विनियोजन लेखों में टिप्पणीबद्ध आधिक्य राशि जिसका विनियमन अपेक्षित है (आंकड़े ₹ में)	विनियमन प्रास्थिति
2014-15	10 अनुदान 6 विनियोजन	1, 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 23 (राजस्व) 23 (पूँजीगत) व 1, 10, 19, 29 (राजस्व), 29, 31 (पूँजीगत)	15,85,69,18,458	वित्त विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश विधायिका को ज्ञापन/स्वतः संज्ञान उत्तर भेजे गए, परन्तु लोक लेखा समिति द्वारा आधिक्य को अभी तक नियमित नहीं किया गया।
2015-16	7 अनुदान 4 विनियोजन	5, 8, 10, 13, 19, 23, 28 (राजस्व) व 13, 16, 29 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	28,48,43,38,113	
2016-17	5 अनुदान 3 विनियोजन	2, 13 (राजस्व) 3, 10, 23 (पूँजीगत) व 1, 16 (राजस्व) 29 (पूँजीगत)	30,37,60,82,471	
2017-18	2 अनुदान 1 विनियोजन	5, 10 (राजस्व) व 10 (पूँजीगत)	3,86,76,41,211	
2018-19	6 अनुदान 5 विनियोजन	05, 13, 22 (राजस्व), 03, 10, 12 (पूँजीगत) व 07, 20, 25 (राजस्व), 10, 29 (पूँजीगत)	8,21,37,16,840	
2019-20	4 अनुदान 3 विनियोजन	22 (राजस्व), 13, 21, 28 (पूँजीगत) व 05 (राजस्व), 13, 29 (पूँजीगत)	49,91,20,218	
2020-21	3 अनुदान 2 विनियोजन	28 (राजस्व), 10, 25 (पूँजीगत) 13 (राजस्व), 31 (पूँजीगत)	88,69,12,706	
2021-22	13 अनुदान 2 विनियोजन	05, 12, 23 (राजस्व), 05, 06, 07, 08, 09 ,17,18, 20, 23, 25, 27, 30 (पूँजीगत), 07(राजस्व), 13 (पूँजीगत)	17,82,16,59,142	प्रक्रियाधीन
योग			1,06,00,63,89,159	

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.3.7 पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता-अनुदान

भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों के अतिरिक्त, अनुदानकर्ता द्वारा अनुदेयी को संवितरित सहायता-अनुदान राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किए जाएं, भले ही सहायता-अनुदान के रूप में संवितरित निधि अनुदेयी ने जिस भी उद्देश्य से खर्च की हो।

वर्ष 2022-23 के दौरान पूंजीगत सम्पत्ति हेतु सहायता-अनुदान के रूप में ₹ 1,376.62 करोड़ की राशि प्रदान की गई तथा भारत सरकार के लेखांकन मानक-2 के अनुपालन में सम्पूर्ण राशि राजस्व शीर्ष के तहत बुक एवं लेखाओं में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत की गई।

3.4 बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता

3.4.1 बजट प्राक्कलन तथा प्रत्याशित एवं वास्तविक के मध्य अंतर

कर प्रशासन/अन्य प्राप्तियों व सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न राजकोषीय संकेतकों की प्राप्ति हेतु संतुलन बनाए रखता है। अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित बजटीय आवंटन, खराब व्यय निगरानी तंत्र, कमजोर योजना कार्यान्वयन क्षमता एवं कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच धन का इष्टतम आवंटन नहीं हो पाता। कुछ विभागों में अत्यधिक बचत से अन्य विभाग उन निधियों से वंचित हो जाते हैं, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

वर्ष 2022-23 के दौरान 32 अनुदानों/विनियोजनों के संबंध में मूल एवं अनुपूरक प्रावधान की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका 3.16 में दी गई है।

तालिका 3.16: 2022-23 के दौरान बजट (मूल/ अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोजन	अनुपूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल बजट	वास्तविक व्यय	निवल बचत (-)	मार्च में अभ्यर्पण	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	38,267.33	5,632.60	43,899.93	42,239.74	-1,660.19	709.71	1.62
	II. पूंजीगत	5,697.53	1,467.37	7,164.90	6,039.61	-1,125.29	934.48	13.04
	III. ऋण व अग्रिम	97.38	1.41	98.79	110.57	11.78	0.02	0.02
	कुल	44,062.24	7,101.38	51,163.62	48,389.92	-2,773.70	1,644.21	14.68
प्रभारित	I. राजस्व	5,187.77	8.50	5,196.27	4,913.38	-282.89	324.71	6.25
	II. पूंजीगत	0.00	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00
	III. लोक ऋण अदायगी	5,342.01	6,006.94	11,348.95	10,135.79	-1,213.16	0.00	0.00
कुल	10,529.78	6,039.70	16,569.48	15,073.43	-1,496.05	324.71	6.25	
सकल योग	54,592.02	13,141.08	67,733.10	63,463.35	-4,269.75	1,968.92	20.93	


स्रोत: विनियोजन लेखे

जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2022-23 में व्यय का कुल प्रावधान ₹ 67,733.10 करोड़ था। वर्ष के दौरान वास्तविक सकल व्यय ₹ 63,463.35 करोड़ रहा। 26 अनुदानों व आठ विनियोजनों में हुई ₹ 4,931.89 करोड़ की बचत के शुद्ध परिणाम के

रूप में ₹ 4,269.75 करोड़ की समग्र बचत हुई, जो 16 अनुदान एवं दो विनियोजनों में हुए ₹ 662.14 करोड़ के आधिक्य से समायोजित हुई। ₹ 4,269.75 करोड़ की निवल बचत में से मात्र ₹ 1,968.92 करोड़ (46.11 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए। सभी अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अर्थात् 31 मार्च 2023 को किए गए।

पांच वर्षों के दौरान बजट उपयोग की प्रास्थिति चार्ट 3.7 में दी गई है।

चार्ट 3.7: बजट उपयोग की प्रवृत्ति



जैसाकि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, वर्ष 2018-19 से 2019-20 के दौरान कुल आवंटन के सापेक्ष बजट उपयोग के प्रतिशत में घटती प्रवृत्ति जबकि विगत तीन वर्षों की अवधि अर्थात् वर्ष 2020-23 में बढ़ती प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय के विवरण तालिका 3.17 में दिए गए हैं।

तालिका 3.17: 2018-23 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
मूल बजट	43,842	46,971	52,472	53,485	54,592
अनुपूरक बजट	3,143	6,737	9,125	2,230	13,141
कुल बजट	46,985	53,708	61,597	55,715	67,733
संशोधित अनुमान	43,625	49,688	53,460	48,834	62,871
वास्तविक व्यय	42,469	45,528	53,139	50,129	63,463
बचत (-)/ आधिक्य (+)	-4,516	-8,180	-8,458	-5,585	-4,270
मूल प्रावधान से अनुपूरक का प्रतिशत	7.17	14.34	17.39	4.17	24.07
समग्र प्रावधान से सकल बचत/आधिक्य का प्रतिशत	-9.61	-15.23	-13.73	-10.03	-6.30
कुल बजट-संशोधित अनुमान	3,360	4,020	8,137	6,881	4,862
संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय	1,156	4,160	321	-1,295	-592


संघटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
(कुल बजट-संशोधित अनुमान) कुल बजट के % के रूप में	7.15	7.48	13.21	12.35	7.18
(संशोधित अनुमान-वास्तविक व्यय) कुल बजट के % के रूप में	2.46	7.75	0.52	-2.32	-0.87

स्त्रोत: विनियोजन लेखे व संबंधित वर्षों के बजट दस्तावेज

तालिका 3.17 दर्शाती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 13,141 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 24.07 प्रतिशत रहे जबकि विगत वर्ष यह 4.17 प्रतिशत थे।

बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और उसके सापेक्ष उपयोग की प्रवृत्ति चार्ट 3.8 में दर्शाई गई है।

चार्ट 3.8: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान व वास्तविक को दर्शाती प्रवृत्ति



स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि पांच वर्षों (2018-19 से 2022-23) में कुल बजट सदैव संशोधित अनुमान व वास्तविक व्यय से अधिक रहा। वर्ष 2019-20 के अतिरिक्त, संशोधित अनुमान वास्तविक व्यय के करीब रहे।

प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2018-23 के दौरान संशोधित अनुमान कुल बजट से 7.15 प्रतिशत से 13.21 प्रतिशत कम था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय का प्रतिशत संशोधित अनुमान से क्रमशः 2.46 प्रतिशत, 7.75 प्रतिशत, 0.52 प्रतिशत कम था। विगत दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2021-22 व 2022-23 में वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान से क्रमशः 2.23 प्रतिशत व 0.87 प्रतिशत अधिक था (जैसाकि तालिका 3.17 में दर्शाया गया है)। इस प्रकार वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2021-22 के दौरान अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा।

यह परिचायक है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे क्योंकि राज्य के बजट अनुमान हमेशा बढ़े हुए थे तथा वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम रहा।

3.4.2 अनुपूरक बजट

कभी-कभी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करते समय विभाग विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के अंतर्गत अलग-अलग उद्देश्यों हेतु बड़ी अतिरिक्त मांग की सूचना देता है, परन्तु वे न तो संपूर्ण अनुपूरक प्रावधान या उसके किसी हिस्से को खर्च कर पाता है एवं न ही मूल बजट प्रावधान को ही खर्च कर पाता है। 'पूँजीगत-दत्तमत' प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण तालिका 3.18 में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.18: 'पूँजीगत'दत्तमत- प्रभाग के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम	मूल आबंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अप्रयुक्त निधियां
पूँजीगत-दत्तमत						
1	1- विधान सभा	3.05	1.41	4.46	4.36	-0.10
2	3-न्याय प्रशासन	11.90	10.63	22.53	10.80	-11.73
3	4-सामान्य प्रशासन	9.23	0.00	9.23	8.17	-1.06
4	8-शिक्षा	87.38	77.02	164.40	163.79	-0.61
5	10- लोक निर्माण कार्य- सड़कें, पुल व भवन	1,294.54	319.17	1,613.71	1,550.57	-63.14
6	11-कृषि	65.18	0.00	65.18	65.00	-0.18
7	13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	537.17	259.08	796.25	726.64	-69.61
8	14- पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन	13.28	0.34	13.62	12.69	-0.93
9	15-आयोजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना	493.74	0.00	493.74	325.15	-168.59
10	16- वन एवं वन्यजीव	10.22	1.76	11.98	10.21	-1.77
11	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	5.28	58.83	64.11	1.69	-62.42
12	22- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	0.09	0.00	0.09	0.08	-0.01
13	24- प्रिंटिंग व स्टेशनरी	0.30	1.00	1.30	1.22	-0.08
14	26- पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	581.26	0.00	581.26	86.15	-495.11
15	28- शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	181.85	57.22	239.07	173.51	-65.56
16	29-वित्त	7.28	15.12	22.40	15.83	-6.57
17	31-जनजातीय विकास	539.63	0.00	539.63	386.50	-153.13
18	32- अनुसूचित जाति उप योजना	1,418.15	0.00	1,418.15	1,096.37	-321.78
योग		5,259.53	801.58	6,061.11	4,638.73	-1,422.38

स्रोत: विनियोजन लेखे

3.4.3 बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं एवं वास्तविक प्रावधान/व्यय

सरकार बजट भाषण एवं अन्य बजट दस्तावेजों के माध्यम से कार्यान्वयन हेतु कई नई नीतियों/योजनाओं की घोषणा करती है, जो या तो उस विशेष वित्तीय वर्ष (एक बार की गतिविधि) या बाद के वित्तीय वर्षों (आवर्ती प्रकृति के) के लिए होती हैं।

कुछ प्रमुख नीतिगत घोषणाएं बजट में की गईं परन्तु उनके सापेक्ष कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। विवरण तालिका 3.19 में दिया गया है।

तालिका 3.19: 2022-23 के दौरान बजट की प्रमुख नीतिगत घोषणाएं व वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना के नाम	बजट प्रावधान
1	मुख्यमंत्री असहाय बाल पुर्नवास योजना	निरंक
2	श्रेष्ठ शिक्षा गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना	
3	बाल प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना	
4	मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना	
5	कौशल आपके द्वार	
6	मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक (एम3सी)	
7	ड्रोन का उपयोग कर शासन व सुधार (गरूड)	

स्त्रोत: बजट दस्तावेज

3.4.4 योजनाएं एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उनको किए गया वास्तविक वित्तपोषण

योजना के दिशानिर्देशों/तौर-तरीकों को मंजूरी न मिलने, प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव में कार्य प्रारंभ न होने, बजट जारी न होने इत्यादि कारणों से सरकार की कई नीतिगत पहल या तो आंशिक रूप से कार्यान्वित की गई हैं या नहीं की गई। इससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह जाते हैं। ऐसी योजनाओं में बचत होने से अन्य विभागों को वह निधियां नहीं मिलती जिसका उपयोग किया जा सकता था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 77 ऐसी योजनाएं थीं जहां बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ (परिशिष्ट 3.9 में विवरण दिया गया है)। ऐसी सात प्रमुख योजनाओं (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान) का विवरण तालिका 3.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.20: ऐसी कुछ योजनाओं का विवरण जिनके लिए पर्याप्त प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ और अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
1	32	हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का विकास	278.65	वर्ष के दौरान इन योजनाओं
2	5	आपदा संभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा आकस्मिक योजनाओं पर व्यय	95.20	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	अभ्युक्ति
3	31	हवाई अड्डे एवं हेलीपोर्टों का विकास	81.50	पर कोई व्यय नहीं किया गया।
4	28	स्मार्ट सिटी मिशन	74.80	
5	20	15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को स्वास्थ्य सहायता	64.81	
6	19	सुख आश्रय भवन का निर्माण	58.43	
7	19	वित्त विभाग के पास आरक्षित निधि के पेंशनभोगी	57.61	

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

आगे यह भी पाया गया कि इन 77 योजनाओं में से 51 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा हटा दिया गया या संशोधित परिव्यय में अभ्यर्पित कर दिया गया। इन योजनाओं का विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है।

स्वीकृत योजनाओं पर निधियों की अप्रयुक्ति दर्शाती है कि राज्य सरकार के विभागों ने या तो ऐसी योजनाएं प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त योजना नहीं बनाई थी अथवा उनके कार्यान्वयन की क्षमता नहीं थी। योजना कार्यान्वयन की कमजोर क्षमताओं के कारण सरकारी खाते से इतर नकद शेष को बैंक खातों में रखने या वर्ष के अंत में निधियां अभ्यर्पित करने की प्रवृत्ति विभागों में बढ़ जाती है, जिससे अन्य विभाग उन निधियों से वंचित रह जाते हैं जिसका उपयोग किया जा सकता था।

3.4.5 व्यय का तीव्र प्रवाह

सरकारी निधियां सम्पूर्ण वर्ष के दौरान एक समान रूप से खर्च की जानी चाहिए। व्यय की गति स्थिर बनाए रखना, सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन एवं अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न अस्थाई नकदी संकट को टालता है।


चरणबद्ध ढंग से व्यय विनियमित करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान हुए व्यय हेतु तिमाही-वार प्रतिशतता (*प्रथम तिमाही-20 प्रतिशत; द्वितीय तिमाही-25 प्रतिशत; तृतीय तिमाही-30 प्रतिशत; चतुर्थ तिमाही- 25 प्रतिशत*) निर्धारित की (सितम्बर 1995)।

संवीक्षा में वर्ष 2022-23 के दौरान 22 मुख्य शीर्षों के तहत 25 प्रतिशत लक्ष्य के प्रति अंतिम तिमाही में 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय होना पाया गया। 12 मामलों में केवल मार्च माह में ही कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक का व्यय किया गया। विवरण **परिशिष्ट 3.11** में दिए गए हैं।

यह भी पाया गया कि मुख्य शीर्ष- 4210 (चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय) के अंतर्गत ₹ 551.64 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 357.83 करोड़ (64.87 प्रतिशत) गत तिमाही में व्यय हुए, जबकि ₹ 284.16 करोड़ (51.51 प्रतिशत) मार्च 2023 में व्यय किए गए। वर्ष 2022-23 के दौरान मुख्य शीर्ष- 4210-चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य के तहत पूंजीगत परिव्यय में हुआ माह-वार व्यय **चार्ट 3.9** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.9: 2022-23 के दौरान चिकित्सा व लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

(₹ करोड़ में)



सरकारी निधियां पूरे वर्ष समान रूप से व्यय की जानी चाहिए। व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह अप्रत्याशित भारी व्यय से उत्पन्न होने वाले राजकोषीय असंतुलन एवं अस्थायी नकदी संकट को टालता है। सभी अनुदानों पर हुए व्यय का त्रैमासिक विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

इस परिशिष्ट से स्पष्ट है कि 26 अनुदानों के मामले में वर्ष के दौरान त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। अंतिम तिमाही में जहाँ 40 प्रतिशत से अधिक व्यय हुआ, उन अनुदानों का विवरण तालिका 3.21 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.21: 2022-23 के दौरान अंतिम तिमाही में 40 से अधिक के व्यय वाले अनुदानों के विवरण

क्र. सं.	विवरण	2022-23 के दौरान आवंटन	व्यय					2022-23 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चतुर्थ तिमाही में हुआ व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में हुआ व्यय
			प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	मार्च में			
1	10 लोक निर्माण कार्य - सड़क, पुल व भवन	5,046.35	763.02	886.20	873.53	1,907.68	1,228.65	4,430.43	43.06	27.73
2	17 चुनाव	103.62	9.62	20.57	24.46	51.67	32.86	106.32	48.60	30.91
3	18 उद्योग, खनिज आपूर्ति व सूचना प्रौद्योगिकी	406.73	28.37	77.49	29.54	277.11	241.83	412.51	67.18	58.62
4	21 सहकारिता	45.42	9.20	9.03	11.09	21.30	15.55	50.61	42.08	30.72
5	24 प्रिंटिंग व स्टेशनरी	41.14	9.89	7.68	6.29	16.81	11.41	40.68	41.34	28.04
6	25 सड़क व जल यातायात	719.03	164.75	143.14	134.00	338.66	125.93	780.55	43.39	16.13
7	28 शहरी विकास, नगर एवं ग्राम नियोजन एवं आवास	998.88	28.18	369.18	103.22	508.15	407.34	1,008.73	50.38	40.38

अंतिम तिमाही, मुख्यतः मार्च माह के दौरान व्यय का तीव्र प्रवाह वित्तीय नियमों की अवमानना को दर्शाता है। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही/ माह में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचने के लिए उपयुक्त तंत्र सृजित करें।

3.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि में दो अनुदान अर्थात् अनुदान संख्या 10- 'लोक निर्माणकार्य- सड़क, पुल व भवन' एवं अनुदान संख्या 26- 'पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन' के संबंध में बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा से निम्नलिखित उजागर हुआ:

3.5.1 अनुदान संख्या 10 - लोक निर्माणकार्य- सड़क, पुल व भवन

यह अनुदान लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़क व पुल, 4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5054-सड़क व पुल पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-23 के दौरान अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत आबंटित निधियों एवं किए गए व्यय की समग्र स्थिति तालिका 3.22 में विवर्णित है :

तालिका 3.22: बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्यबचत/

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट		व्यय		बचत (-)/आधिक्य (+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2020-21	5,186.88	18.05	4,285.96	12.63	-900.92 (17%)	-5.42 (30%)
2021-22	5,221.58	0.20	3,981.80	0.19	-1,239.78 (24%)	-0.01(5%)
2022-23	5,046.35	0.00	4,430.43	0.00	-615.92 (12%)	0.00

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान दत्तमत के अंतर्गत 12 प्रतिशत से 24 प्रतिशत एवं प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पांच प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक लगातार बचत हुई।

(ii) अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

तालिका 3.23 दर्शाती है कि अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत पांच मामलों में पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए क्योंकि यह आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं थे।

तालिका 3.23: व्यय की पूर्ति हेतु किए गए अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	बजट	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2059-80-053-04-S00N-02	0.09	0.54	1.29	0.66
2	3054-04-105-02-S00N-02	3.50	2.88	8.00	1.62
3	3054-04-105-15-S00N-21	44.89	1.50	51.48	5.09
4	3054-04-105-17-S00N-21	25.37	2.11	31.01	3.53
5	4059-80-051-03-S00N-37	27.12	0.67	28.04	0.25

विनियोजन की एक इकाई से हुई बचत को उसी अनुदान के भीतर अन्य इकाई के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अंतरित करना पुनर्विनियोजन कहलाता है। जैसाकि आगामी परिच्छेद में दी गई तालिका से स्पष्ट है, कई शीर्षों में भारी बचत हुई, जिन्हें उन मामलों में हुए आधिक्य की पूर्ति हेतु पुनर्विनियोजन किया जा सकता था जहां पुनर्विनियोजन अपर्याप्त सिद्ध हुए थे।

(iii) बचत

तालिका 3.24 दर्शाती है कि अनुदान संख्या 10 में 14 ऐसे मामले थे जहां प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत (दो मामलों में ₹ 100 करोड़ सहित) देखी गई।

तालिका 3.24: ₹ 10 करोड़ से अधिक की बचत वाले मामलों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
1	3054-04-105-06-S00N-21	693.35	487.87	-205.48
2	3054-04-105-20-S00N-21	299.75	189.93	-109.82
3	3054-04-105-07-S00N-01	691.13	617.65	-73.48
4	2059-80-799-01-S00N-79	118.80	50.99	-67.81
5	3054-04-105-02-S00N-21	322.93	289.78	-33.15
6	5054-04-337-02-S00N-37	264.12	234.44	-29.68
7	2059-80-053-06-S00N-21	100.84	79.11	-21.73
8	5054-04-101-01-S00N-37	62.86	48.33	-14.53
9	3054-04-105-28-S00N-21	50.00	37.50	-12.50
10	3054-04-105-22-S00N-01	86.80	74.76	-12.04
11	3054-04-105-21-S00N-01	89.43	77.60	-11.83
12	3054-04-337-06-S00N-21	27.19	16.47	-10.72
13	3054-04-105-23-S00N-01	122.75	112.43	-10.32
14	3054-04-105-29-S00N-21	10.00	0.00	-10.00

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 31 (4) निर्धारित करता है कि व्यय हेतु बनाए गए बजट अनुमान सम्बंधित प्रशासनिक विभाग की संवीक्षा एवं अनुमोदनोपरांत वित्त विभाग को निर्धारित पद्धति व प्रारूप में प्रेषित किए जाएं।

विगत पांच वर्षों से अनुदान संख्या 10 में हो रही निरंतर बचतों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग ने बजट अनुमान तैयार करते समय विगत वर्ष की बचत को ध्यान में नहीं रखा। विभाग को बजट अनुमान तैयार करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए ताकि निधियों का अन्यत्र उपयोग किया जा सके तथा भारी बचत न हो।

उप-नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार न करने, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा स्थानांतरण प्रविष्टियों का समायोजन न करने एवं मण्डलों द्वारा कार्यों को धीमी गति से निष्पादन के कारण बचत हुई।

(iv) बजट प्रावधान से ऊपर व अधिक व्यय आधिक्य

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसार अनुपूरक अनुदान या विनियोजन या आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने के अतिरिक्त ऐसा कोई व्यय नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव किसी वित्तीय वर्ष में राज्य विधायिका द्वारा विधिपूर्वक अधिकृत कुल अनुदान या विनियोजन से अधिक हो।

दस मामलों में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय पाया गया, जो आधिक्य में परिणत हुआ। विवरण तालिका 3.25 में दिया गया है।

तालिका 3.25: बजट प्रावधान से अधिक व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
1	2059-80-799-03-S00N-79	60.50	124.23	63.73
2	3054-04-105-15-S00N-21	46.39	51.48	5.09
3	3054-04-105-17-S00N-21	27.48	31.01	3.53
4	5054-04-337-26-S00N-37	0.00	1.97	1.97
5	3054-04-105-02-S00N-02	6.38	8.00	1.62
6	5054-04-337-19-S00N-37	373.67	375.19	1.52
7	2059-80-053-04-S00N-02	0.63	1.29	0.66
8	5054-04-337-10-S00N-37	21.93	22.36	0.43
9	4059-80-051-03-S00N-37	27.79	28.04	0.25
10	3054-04-105-14-S00N-02	0.017	0.019	0.002

ये मामले स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि विभाग ने यथार्थवादी आधार पर बजट प्रावधान नहीं किया था तथा जहां अतिरिक्त व्यय अपरिहार्य लग रहा था, वहां विभाग ने राज्य सरकार/वित्त विभाग द्वारा जारी नियमों व निर्देशों का पालन नहीं किया।

प्रत्युत्तर में उप नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया कि अंतिम आधिक्य एवं अभ्यर्पण राज्य शासन/वित्त विभाग को अनुमोदनार्थ भेजा गया था।

(v) आधिक्य एवं अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण की विवरणी क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रति वर्ष सभी विभागों को आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी जमा करने की तिथियां निर्धारित करने के निर्देश जारी करती है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि लोक निर्माण विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम व द्वितीय विवरणी 16 से 70 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की। विवरण तालिका 3.26 में दिया गया है।

तालिका 3.26: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रानुसार आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि	आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
2020-21*	01-12-2020 (प्रथम)	04-02-2021	68
	15-01-2021 (द्वितीय)	04-02-2021	21
	15-03-2021 (अंतिम)	--	--
2021-22#	31-10-2021 (प्रथम)	08-02-2022	70
	31-01-2022 (द्वितीय)	08-02-2022	24
	15-03-2022 (अंतिम)	--	--
2022-23\$	31-10-2022 (प्रथम)	31-01-2023	62
	31-01-2023 (द्वितीय)	31-01-2023	16
	15-03-2023 (अंतिम)	--	--

* पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2020 दिनांक 01.09.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(3)-1/2021-II दिनांक 27.08.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

\$ पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2022 दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

इससे परिलक्षित होता है कि विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारिणी का पालन नहीं किया (तीन अवसरों के अतिरिक्त)।

उप-नियंत्रक (वित्त एवं प्रशासन), लोक निर्माण विभाग ने बताया (जुलाई 2023) कि बजटीय अनुमान एवं विवरणी प्रस्तुत करने में विलम्ब क्षेत्रीय कार्यालयों से आंकड़ें प्राप्त न होने तथा मुख्यालय स्तर पर इसके समेकन में देरी के कारण हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है एवं विभाग को अपने क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देना चाहिए था।

3.5.2 अनुदान संख्या 26 - पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

यह अनुदान पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रशासित होता है तथा इसमें मुख्य शीर्ष: 2059-लोक निर्माण, 3053-नागरिक उड्डयन, 3452-पर्यटन, 5053-नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय शामिल हैं।

(i) बजट एवं व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-23 के दौरान अनुदान संख्या 26 के अंतर्गत आवंटित निधियों एवं उसके प्रति हुए व्यय की समग्र प्रास्थिति तालिका 3.27 में विवर्णित है।

तालिका 3.27 बजट प्रावधान, व्यय, आधिक्य/बचत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान		व्यय		बचत(-)/ आधिक्य(+)	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2020-21	1,112.20	0.00	165.63	0.00	(-) 946.57 (85%)	0
2021-22	720.87	0.00	176.21	0.00	(-) 544.66 (76%)	0
2022-23	609.23	0.16	110.82	0.16	(-) 498.42 (82%)	0

स्त्रोत: विनियोजन लेखे

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2020-23 के दौरान 76 से 85 प्रतिशत बचत हुई, जो अनुपूरक प्रावधान, एक लेखा शीर्ष से दूसरे लेखा शीर्ष में निधि के पुनर्विनियोजन, बजट व्ययगत/ अभ्यर्पित होने, अनावश्यक बजट प्रावधान इत्यादि मुद्दों के रूप में परिणत हुई, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है। यह परिचायक है कि या तो बजट यथार्थवादी आधार पर नहीं बनाया गया था अथवा वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार व्यय नहीं किया गया था।

अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) कि बजट पिछले व्यय, लंबित देयताओं एवं संभावित व्यय को ध्यान में रखकर वित्त विभाग को प्रस्तावित किया गया था। परन्तु कोरोना महामारी, नागचला हवाई अड्डे की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी न होने एवं विभाग के कुछ वाउचरों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा आपत्ति बही उचंत लेखा में रखने के कारण व्यय कम हुआ।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विगत दो वर्षों में बजट प्रावधान की तुलना में मात्र 15 से 24 प्रतिशत ही व्यय हुआ। उपरोक्त अनुदान में हुई निरंतर पर्याप्त बचत परिचायक है कि विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे एवं निधियां आवंटित करते समय गत वर्षों की प्रवृत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया।

(ii) बिना मांग/प्रस्ताव के ₹ 100 करोड़ का बजट प्रावधान

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के बजट आंकड़ों की नमूना-जांच/ विश्लेषण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2020-21 व 2021-22 के वार्षिक बजट में वित्त विभाग ने लेखा शीर्ष 3053-02-हवाई अड्डे, 102-एयरोड्रोम, 02-पुनर्वास एवं संचालन/हवाई अड्डों/हेलीपोर्टों का रखरखाव: 20- अन्य प्रभार के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ राशि का बजट प्रावधान किया गया।

यह भी पाया गया कि पर्यटन विभाग की कोई मांग या प्रस्ताव के बिना ही इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया। प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान सम्पूर्ण राशि (₹ 100 करोड़) अभ्यर्पित कर दी गई, जबकि वर्ष 2021-22 के दौरान मात्र ₹ 2.38 करोड़ के व्ययोपरांत, ₹ 97.62 करोड़ की शेष राशि पुनः अभ्यर्पित कर दी गई, वह भी दिनांक 28.03.2022 को वर्ष के अंत में।

अतिरिक्त निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) विभाग ने संबंधित राशि की कोई मांग नहीं की थी। परन्तु नागचला, जिला मंडी में हवाई अड्डे का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में था एवं नागरिक उड्डयन मद के तहत पर्याप्त बजटीय प्रावधान रखा गया था। यद्यपि प्राथमिक संहितागत औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण विभाग को सम्पूर्ण बजट प्रावधान अभ्यर्पित करना पड़ा।

(iii) आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली के अनुसार विभागाध्यक्ष को बजट अनुमान एवं आधिक्य व अभ्यर्पण का विवरण क्रमशः 1 अक्टूबर व 15 जनवरी अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वित्त विभाग को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष सभी विभागों को आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी जमा करने की तिथियां निर्धारित करने के निर्देश जारी करती है।

वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 की आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणियों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने वित्त विभाग को आधिक्य व अभ्यर्पण की प्रथम, द्वितीय व अंतिम विवरणी 22 से 59 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की। विवरण तालिका 3.28 में दिया गया है।

तालिका 3.28: आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वर्ष	वित्त विभाग द्वारा जारी पत्रानुसार आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षित तिथि	आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब (दिनों में)
2020-21*	01-12-2020 (प्रथम)	28-01-21	59
	15-01-2021 (द्वितीय)	08-02-21	25
	15-03-2021 (अंतिम)	28-04-21	45
2021-22 [#]	31-10-2021 (प्रथम)	20-11-21	21
	31-01-2022 (द्वितीय)	31-01-22	-
	15-03-2022 (अंतिम)	05-04-22	22
2022-23 ^{\$}	31-10-2022 (प्रथम)	31-10-22	-
	31-01-2023 (द्वितीय)	13-01-23	-
	15-03-2023 (अंतिम)	24-04-23	41

* पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2020 दिनांक 01.09.2020 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(3)-1/2021-II दिनांक 27.08.2021 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

\$ पत्र संख्या एफआईएन-ए-सी(6)1/2022 दिनांक 23.08.2022 द्वारा निर्देश जारी किए गए।

यह परिलक्षित करता है कि विभाग ने आधिक्य व अभ्यर्पण विवरणी प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सारणी (तीन अवसरों को छोड़कर) का पालन नहीं किया।

अतिरिक्त निदेशक (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (अगस्त 2023) कि आधिक्य व अभ्यर्पण की यथार्थवादी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जाती है तथा आधिक्य व अभ्यर्पण की रिपोर्ट मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त जानकारी पर निर्भर करती है। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है एवं प्राधिकारियों के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद समेकित जानकारी वित्त विभाग को भेजी गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है तथा विभाग को अपने मंडलीय/क्षेत्रीय कार्यालयों को समय-सीमा का पालन करने हेतु निर्देशित करना था।

3.6 निष्कर्ष

वर्ष 2022-23 के दौरान बजट का समग्र उपयोग कुल अनुदान व विनियोजन का 93.69 प्रतिशत था।

वर्ष 2022-23 के दौरान छः अनुदानों के तहत नौ मामलों में मूल बजट अनुमानों/अनुपूरक मांगों में कोई प्रावधान किए बिना एवं इस आशय का कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए बिना ₹ 39.90 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुपूरक प्रावधान भी यथार्थवादी आधार पर नहीं थे क्योंकि सात मामलों में ₹ 246.39 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंचा। बजटीय आबंटन यथार्थ प्रस्तावों पर आधारित नहीं थे क्योंकि 10 अनुदानों से संबंधित 13 मामलों में अभ्यर्पण को छोड़कर बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक हुई।

वर्ष 2014-22 की अवधि में ₹ 10,600.63 करोड़ एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 में ₹ 662.14 करोड़ का व्यय आधिक्य राज्य विधायिका द्वारा विनियमित किया जाना अपेक्षित था।

वर्ष 2022-23 के दौरान 77 योजनाएं ऐसी थीं जिनमें बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ और उससे अधिक) किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 51 योजनाओं में संपूर्ण बजट प्रावधान या तो पुनर्विनियोजन द्वारा या अभ्यर्पण द्वारा वापस ले लिया गया।

वर्ष के अंत में व्यय की तीव्र प्रवाह देखा गया। 12 मुख्य शीर्षों में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के तहत 50 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2023 के माह में किया गया।

3.7 सिफारिशें

1. राज्य सरकार बजट अनुमान तैयार करने के उसके पूर्वानुमानों में सटीक बनें।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधान बनाने में बजट मैनुअल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करें।
3. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु रणनीति बनाने पर विचार करें।
4. राज्य सरकार निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के संदर्भ में व्यय की प्रगति सुनिश्चित करने एवं प्रत्याशित बचत/आधिक्य के आकलन हेतु नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। प्रत्याशित बचत का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष की समाप्ति से बहुत पहले किया जाए ताकि उनका उपयोग अन्य योजनाओं हेतु किया जा सके। विधायिका द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण से अधिक व्यय आधिक्य से बचे।